पंजाब में अवैध रूप से रह रहे लोगों को किया जा रहा निष्कासित

https://www.newstracklive.com/news/shillong-eviction-of-illegal-settlers-from-punjabi-lane-sc1-nu303-ta901-1467517-1.html

मेघालय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर, एक पैनल ने सीएम कोनराड संगमा को अपनी रिपोर्ट सौंपी, सरकार ने स्थानीय आदिवासी सरदार (लगता है) से भूमि के स्वामित्व को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की। हमने शिलांग के थेम इवे मावलोंग इलाके में पंजाबी लेन के "अवैध बसने वालों" को स्थानांतरित करने का फैसला किया है।

इस बीच, हरिजन कॉलोनी (पंजाबी लेन) में रहने वाले दलित सिखों के प्रतिनिधि निकाय हरिजन पंचायत समिति (एचपीसी) ने "भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के अवैध, अनैतिक और अन्यायपूर्ण कार्यों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ने" की कसम खाई। एचपीसी के अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने एक बयान में कहा, "राज्य की सेवा करने वाले गरीब सिखों को भू-माफिया के दबाव में बेदखल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि पहले दुर्गम क्षेत्र अब एक प्रमुख संपत्ति है।" एचपीसी ने कहा कि कॉलोनी में 2.5 एकड़ जमीन उन निवासियों की है, जिनके पूर्वज दो सदी पहले पंजाब से पलायन कर गए थे।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने भी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था और उस क्षेत्र से किसी का तबादला नहीं किया था। सरकारी अधिकारी और क्षेत्र के अन्य लोग अन्य बातों के अलावा इन निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हैं।

NHRC seeks ATR on security cover to RTI activists

https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/nhrc-seeks-atr-on-security-cover-to-rti-activists/articleshow/86918658.cms

The National Human Rights Commission (NHRC) has served a notice on the state government over alleged failure to provide security to RTI activists in Bihar. The NHRC has directed the state government to file a factual report as well as an action taken report in four weeks' time on the issue in the backdrop of Bipin Agrawal's murder on September 24. The NHRC considers that the state government's alleged failure to follow Union Ministry of Home Affairs' guidelines to provide protection to RTI activists is a human rights violation of the nature of inaction of the government authorities. The notice dated October 8 has been issued on a complaint lodged by Supreme Court lawyer Brajesh Singh after Agrawal's murder. Singh alleged that RTI activists had been murdered earlier also as the government failed to provide them security cover. He also mentioned about the MHA guidelines for giving protection to RTI activists. Agrawal was shot dead at the Harsiddhi block office gate in East Champaran. Four persons, including a former block head of Harsiddhi and a journalist, have been arrested in the case while several businessmen as well a district level politician are suspected to be involved in his murder. As per RTI activist Shree Prakash Rai, at least 20 RTI activists have been murdered in Bihar since 2010, including 10 since 2018.

East Champaran SP Naveen Kumar Jha had said Agrawal was killed for his RTI works leading to anti-encroachment drive at Harsiddhi. Several plots of government land were encroached upon by businessmen and politicians. On June 14, 2013, the MHA had sent an advisory to chief secretaries of states and UTs for providing adequate security to the RTI activists. The MHA had also requested states/UTs to consider the recommendations and suggestions of the task force set up by the Centre's Department of Personnel and Training (DOPT) regarding ensuring the security of RTI activists. The task force was also for reviewing provisions in the RTI Act, 2005, and to recommend measures for its better implementation and enforcement besides suggesting measures for protection of persons seeking information under the Act.

Gorakhpur News: मनीष गुप्ता हत्याकांड में आरोपी पुलिसकर्मी जगत नारायन सिंह और अक्षय मिश्रा गिरफ्तार

https://www.prabhatkhabar.com/state/up/gorakhpur/gorakhpur-news-manish-gupta-murder-case-latest-update-accused-inspector-jagat-narayan-singh-and-sub-inspector-akshay-mishra-arrested-acy

गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायन सिंह (जेएन सिंह) और चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिसकर्मी कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे.

आरोपी पुलिसकर्मियों से पूछताछ जारी
आरोपी पुलिसकर्मियों से पूछताछ जारीप्रभात खबर
आरोपी पुलिसकर्मियों को पुलिस टीम ने रामगढ़ताल इलाके से गिरफ्तार किया है. गोरखपुर के एसएसपी ने आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. फरार आरोपी पुलिसकर्मियों पर एक-एक लाख का इनाम घोषित हुआ था.

बता दें, कानपुर के रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस पिटाई में हत्या की विभागीय जांच में सभी आरोपी पुलिसकर्मी दोषी मिले हैं. पुलिसकर्मियों पर अनुशासनहीनता का आरोप भी लगे हैं. जांच में पता चला है कि सारे आरोपी पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की. उन्होंने अधिकारियों के निर्देशों के पालन में लापरवाही भी की है. मनीष गुप्ता केस में एक वीडियो भी गुरुवार को सामने आया. वीडियो में दिखाई दिया कि मनीष का शरीर बेसुध पड़ा है. उसे पुलिस उठाकर ले जा रही है.

बता दें, 28 सितंबर को कृष्णा पैलेस थाना रामगढ़ताल अंतर्गत प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 391/20202 धारा 302 भादवि बनाम जगत नारायण सिंह आदि 6 अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था. अभियोग पंजीकृत होने के बाद सभी अभियुक्त फरार चल रहे थे.

इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह अमेठी के थाना मुसाफिर खाना के नारा का रहने वाला है. वहीं, अक्षय कुमार मिश्रा बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत कोट मंझरिया का रहने वाला है.

West Bengal Post Poll Violence: नंदीग्राम में BJP कार्यकर्ता की हत्या के मामले में CBI ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार, दाखिल की पांचवीं चार्जशीट

https://www.tv9hindi.com/state/west-bengal/west-bengal-post-poll-violence-cbi-arrests-11-people-in-connection-with-the-murder-of-bjp-worker-in-nandigram-files-fifth-chargesheet-862031.html

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद हिंसा (West Bengal Post Poll Violence) घटनाओं के सिलसिले में पूर्वी मेदिनीपुर से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने पांचवी चार्जशीट (Charge Sheet) दाखिल की है. सीबीआई ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें टीएमसी के नेता शेख सूफियान के दामाद शेख हकीबुल भी शामिल हैं. बता दें कि शेख को ममता बनर्जी का काफी करीबी माना जाता है. नंदीग्राम में हुए चुनाव के दौरान वह ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट रह चुके हैं.

सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है. टीएमसी ने इस कार्रवाई को बीजेपी की ओर से बदले की साजिश करार दिया है.टीएमसी ने इस कार्रवाई को नंदीग्राम से ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी के बयान से जोड़ा है. अपने इस कथित बयान में शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. टीएमसी के आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा ने कहा है कि इस ऐक्शन का केंद्र सरकार से कोई लेना-देना नहीं है. पार्टी ने कहा कि सीबीआई की जांच हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है और यह उसके तहत ही ऐक्शन हुआ है. इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है.

सीबीआई ने दाखिल की पांचवीं चार्जशीट

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की जांच कर रहे सीबीआई की टीम ने पांचवी चार्जशीट दाखिल की है. केंद्रीय एजेंसी की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवव्रत माइती की हत्या के संबंध में हल्दिया कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की गई है. शेख फतेनूर, शेख मिजानूर और शेख इम्दुलाल के खिलाफ यह चार्जशीट दाखिल हुई है. दावा किया जा रहा है कि तीनों ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं. इस हत्या के संबंध में केंद्रीय एजेंसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट रहे

शेख सुफियान और तृणमूल के दो अन्य नेताओं से पूछताछ की थी. उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का ब्यौरा लेने पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम के पास देवव्रत के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि पहले उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था और हमले की आशंका जाहिर की थी लेकिन सीबीआई की अनुशंसा पर उनके घर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई थी जिसके बाद उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को हत्यारों के नाम बताए थे.

हाईकोर्ट ने हिंसा की जांच के लिए सीबीआई जांच का दिया है आदेश

इससे पहले इस साल अगस्त में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की घटनाओं की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया था. कोर्ट ने अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का भी आदेश दिया था. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति ने पहले राज्य में विधानसभा चुनावों के बाद हिंसा की घटनाओं की जांच की थी और अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. दो मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से विभिन्न स्थानों पर हिंसा की कई घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्त चार सदस्यीय टीम ने भी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था.